



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 चैत्र 1948 (श10)
(सं० पटना 286) पटना, सोमवार, 23 मार्च 2026

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

अधिसूचना
19 मार्च 2026

सं० 504— सांख्यिकी संग्रहण नियम 2011 के नियम 3 के उप नियम (2) के तहत पद एवं नियम 4 (2) के अन्तर्गत उसके सांख्यिकीय अधिकारों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु श्री अरविन्द कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को STATE NODAL OFFICER नामित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रतियाँ राज्य सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों एवं प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली उप निदेशक, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रसारित किया जाय तथा इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जन साधारण की सूचना हेतु भी प्रकाशित किया जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 286-571+10-डी0टी0पी0
Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>